ओबीसी आरक्षण पर संवैधानिक संकट, प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो: पटवारी

भोपाल(काप्र)।

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण के कानून को लागू न करने और इससे उत्पन्न संवैधानिक संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर संविधान की अवमानना का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।

श्री पटवारी ने बताया कि 8 मार्च 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए अध्यादेश जारी किया था, इस अध्यादेश को एमबीबीएस की एक छात्र स्मृति दुबे द्वारा चौलेंज किया गया जिसमें हाई कोर्ट ने इस बढ़े हुए आरक्षण को मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में लागू न करने की रोक लगाई थी। इस अध्यादेश को बाद में जुलाई 2019 में विधानसभा द्वारा विधिवत कानून बनाकर लागू किया गया। इस कानून को आज तक किसी भी याचिका में चुनौती नहीं दी गई और न ही किसी न्यायालय ने इस कानून को लागू करने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी 27 प्रतिशत तो कभी 14 प्रतिशत आरक्षण लागू कर ओबीसी वर्ग खासकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिससे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पटवारी ने कहा कि कई विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को पिछले 4-5 साल से नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। हाल ही में जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में भी केवल 14 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया गया, जो विधानसभा द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है। यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसमें एडवोकेट जनरल की राय का हवाला देते हुये सरकार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से इंकार कर देती है।

श्री पटवारी ने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य में ओबीसी की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। फिर भी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जो कार्यपालिका के मुखिया हैं, वे विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। यह एक गंभीर संवैधानिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि संविधान के अनुसार कार्यपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू करना अनिवार्य है। श्री पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार का यह रवैया ओबीसी वर्ग के साथ विश्वासघात है। यह सरकार केवल चुनावों के समय ओबीसी समाज को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन वास्तव में उनके अधिकारों को कुचल रही है। हम मांग करते हैं कि इस संवैधानिक संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ओबीसी आरक्षण कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

तेल ले जा रहा ट्रक पंचर खड़े डंपर से भिड़ा, क्लीनर की मौत

भोपाल(काप्र)।

देहात क्षेत्र के बिलखिरिया थाना इलाके में तेल के पीपे लोड कर ले जा रहा तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे पंचर खड़े डंपर में पीछे से भिड़ गया। हादसे में ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई जबकि चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ट्रक में तेल के पीपे भरे हुए थे। टक्कर होते ही तेल सड़क पर फैल गया। आसपास के लोग तेल के पीपे बटोरने के लिए पहुंच गए।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से हटाया। बाद में बुरी तरह फंसे क्लीनर के शव को क्रेन की मदद से निकाला गया, वहीं चालक का उपचार जारी है। हादसा शुक्रवार रात करीब 11 बजे झागरिया पहाड़ी के पास हुआ। बताया गया है, की अचानक लगी झपकी से ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और वह डंपर से जा टकराया। पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद जांच शुरू कर दी है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 टन सरसों तेल के पीपे लेकर एक ट्रक बूंदी, राजस्थान से नागपुर जा रहा था। ट्रक बीती रात बिलखिरिया इलाके से निकल रहा था। ट्रक में रिफाइंड ऑइल के पीपे लोड थे। देर रात ट्रक ग्राम झागरिया स्थित मोड़ के पास पहुंचा, तभी सड़क किनारे पंचर खड़े एक डंपर में पीछे से जाकर भिड़ गया। हादसा

इतना भीषण था, कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक में सवार क्लीनर और ड्रायवर बुरी तरह केबिन में फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे क्लीनर और चालक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। लेकिन तब तक क्लीनर की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार हुए क्लीनर का नाम दिलीप निवासी जीरापुरा राजगढ़ बताया गया है, जबकि ट्रक खिलचीपुर निवासी कैलाश चला रहा था। वहीं टक्कर होते ही ट्रक में लदा हुआ तेल सड़क पर गिरकर फैल गया। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करने के बजाए तेल के पीपे समेटने में जुट गए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से खदेड़ते हुए रेस्क्यू शुरु किया गया। बताया गया है कि हादसे के समय डंपर में कई टन निर्माण सामग्री लदी हुई थी, जिससे उसका वजन काफी ज्यादा था। इस डंपर के पंचर होने पर चालक ने उसे सड़क किनारे खड़ा किया था। ड्राइवर-क्लीनर मिलकर उसे सुधार रहे थे। तभी ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर खड़े डंपर के पिछले हिस्से में जा टकराया। टक्कर होने का अंदेशा होने पर ड्राइवर कैलाश चलते ट्रक से बाहर कूद गया, जिसके कारण उसके पैर में चोट आई है। लेकिन टक क्लीनर दिलीप कैबिन में फंस गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त डंपर के नीचे लेटकर टायर खोल रहे ड्राइवर को चोट नहीं आई। वहीं एक्सीडेंट के समय टकराने वाले ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगने से कई टन माल से भरा भारी-भरकम डंपर भी आगे बढ़ गया था। लेकिन सड़क किनारे लोहे की रेलिंग लगी होने के कारण वह और आगे नहीं बढ़ा वरना डंपर और ट्रक सड़क से करीब दस से बारह फीट नीचे जा गिरते।

स्वच्छ सवेरा कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल (काप्र)। महापौर श्रीमती मालती राय के मुख्य आतिथ्य में स्वच्छ सवेरा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती राय ने अपने शहर को देश को सबसे स्वच्छ एवं कचरा मुक्त शहर बनाने का आव्हान किया और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर महापौर परिषद के सदस्य श्री राजेश हिंगोरानी, जोन अध्यक्ष श्रीमती आरती अनेजा व श्रीमती बृजुला सचान, पार्षद श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी, श्रीमती शिरोमणी शर्मा, श्रीमती प्रियंका मिश्रा के अलावा टी.आई.टी टेक्नोक्रेट्स सहित अन्य आयोजक संस्थानों के पदाधिकारीगण मौजूद थे। नगर निगम भोपाल व टी.आई.टी.टेक्नोक्रेट्स के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को प्रात: बोट क्लब पर स्वच्छ

सवेरा कार्यक्रम का आयोजन महापौर श्रीमती मालती राय के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के संदेश दिए गए। महापौर श्रीमती राय ने इस अवसर पर उपस्थितजन विशेषकर युवाओं का आव्हान किया कि वह नगर निगम द्वारा शहर को साफ-स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय सहभागिता दर्ज कराएं और अन्य लोगों को भी स्वच्छता हेतु प्रेरित करते हुए अपने शहर को देश का सबसे स्वच्छ व कचरा मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर उपस्थितजन को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई।

सेवा भारती द्वारा 21 गर्भवती दीदियों की गोद भराई कार्यक्रम

भोपाल(काप्र)।

सेवा भारती चिकित्सा प्रकल्प और रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा माधव मंडल अंतर्गत बंजारी बस्ती, कोलार में मजदूर परिवारों में गोद भराई के कार्यक्रम में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर सेवा भारती महानगर अध्यक्ष, सेवानिवृत न्यायाधीश शिवमंगल ने कहा कि ये परिवार भी समाज में प्रमुख स्थान रखते है और हम सौभाग्यशाली है और खुशियों में शामिल है संस्था का उद्देश्य मजदूरी करने वाले परिवार को मुख्य धारा में लाना और स्वास्थ्य की योजनाओं की जानकारी देना और गर्भवती होने पर भोजन के साथ चिकित्सकीय जांचो हेतु जागरूक करना है सेवा भारती द्वारा सभी 21गर्भवती दीदियो को साड़ी, नारियल, फल, मिष्ठान चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और आयरन, कैल्शियम की दवा देकर गोद भरी गई, कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ. रामअवतार यादव मैं सेवा बस्तियों में

किए गए कार्यों को बताया मीडिया प्रभारी भगवान दास ढालिया ने बताया गोद भराई कार्यक्रम का उद्देश्य हमें ज्यादा से ज्यादा संस्थागत प्रसव, ए. एन. सी. और पी. एन. सी. पर जोर देना,अनेमिया से बचाव, और स्तनपान को बढ़ावा देना है, ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहें । कार्यक्रम में दानदाता एस. एस अग्रवाल , डॉ विनीता पाठक, डॉ दिनेश शर्मा, डॉ सत्येंद्र बघेल, रत्नेश यादव, भावना घोसी, पिंकी जंघेला, आशा कार्यकर्त्ता, सेवा भारती शिक्षिका दीदीयों का सराहनीय सहयोग रहा।

नाट्य प्रस्तुति और विचार विमर्श आज

भोपाल (काप्र)। शिवाजी मगर स्थित दुष्यंत संग्रहालय में सोमवार को एक दिवसीय नाट्य एवं विचार विमर्श का आयोजन किया जा रहा है। एंसैंबल थिएटर-इन-एजुकेशन सोसायटी की ओर से आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में वसीम खान के निर्देशन में नाटक वाकपटु का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक युवा रंगकर्मी उज्ज्वल सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम में रंगमंच भोपाल शहर में स्थिति, महत्त्व एवं आवश्यकता विषय पर विचार विमर्श होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी मॉरिस लाज़रस बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा।

मोदी आज करेंगे कलेक्टर नेहा मीणा को सम्मानित

'मोटी आई' मॉडल की गूंज दिल्ली तक

भोपाल (काप्र)।

आदिवासी जिले झाबुआ में कुपोषण से निपटने के लिए कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा किए गए प्रयासों को काफी सराहा जा रहा है। इस काम के लिए उन्हें 21 अप्रैल को नई दिल्ली में पीएम एक्सीलेंस अवॉर्ड मिलेगा। नेहा ने इस अभियान के जरिए बच्चों को कुपोषण से बचाया।

वैक्सीनेशन, गर्भवतियों की जांचें, लड़कियों की शिक्षा और कुपोषण हटाने के प्रयासों के अलावा उनका मोटी आई मॉडल सरकार को भी पसंद आया है और उसे अब दूसरे जिलों में भी अपनाया जाएगा। मोटी आई का मतलब होता है, बड़ी मां। आदिवासी परिवार अपने रीति-रिवाजों, गांव के बड़े बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए नेहा ने इस अभियान को देसी अंदाज में ढाला। भीली बोली में लोक गीत बनाए, गांवों-फलियों तक अभियान की खूबियां बताईं और पोषण आहर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गांव में अनुभवी महिलाओं की मदद ली। उन्हें प्रशिक्षित किया। हर गांव में तैयार हुई मोटी आई बच्चों को कुपोषण से दूर रखने में पूरी मदद करती है और मोटी आई कुपोषित बच्चों की मॉलिश भी करती है।

1325 मोटी आई तैयार की: झाबुआ जिले में तैयार हुई 1325 मोटी आई ने एक हजार से ज्यादा बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला। कुपोषण से निकल कर बच्चे सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। दरअसल जिले में कई परिवार यह समझ ही नहीं पाते थे कि उनका बच्चा कुपोषित हो चुका है। कुपोषित बच्चों का डेटा भी कलेक्टर नेहा मीणा ने एकत्र किया और यह पाया कि रोजगार की तलाश में जो परिवार बाहर जाते हैं, उनके बच्चे ज्यादा कुपोषित हैं। वे अपने बच्चे को दादा-दादियों के पास छोडक़र जाते हैं। वे उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं, इस कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं।

पलायन करने वाले परिवार चिन्हित किए

सबसे पहले पलायन करने वाले परिवारों को जिले में चिन्हित किया गया और उनके बच्चों की देखभाल का जिम्मा मोटी आई को दिया गया और बच्चों का कुपोषण दूर कर उन्हें सामान्य श्रेणी में लाया गया। कलेक्टर नेहा मीणा कहती है कि बच्चों को स्वस्थ देखकर सुकून मिलता है। अब गांव में इसे लेकर जागृति आ चुकी है।

जीएसटी पंजीयन में अब नहीं चलेगा अधिकारियों का अड़ंगा

भोपाल (काप्र)।

जीएसटी पंजीयन में होने वाली अधिकारियों की अड़ंगेबाजी पर दिल्ली से अंकुश लगा दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से सभी जीएसटी आयुक्तों के लिए मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी कर दी है। सख्ती से पालन का निर्देश भी दे दिया है।

जीएसटी पंजीयन के लिए आवेदन करने वाले व्यवसायी से अब अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकेंगे। सामान्य स्थिति में पंजीयन सात दिन में जारी भी करना पड़ेगा। दिल्ली से जारी एसओपी में निर्देशित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यवसाय के स्थल (प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस) को सत्यापित करने के नाम पर अधिकारी अतिरिक्त प्रमाण नहीं मानेंगे। संपत्ति कर, जल कर की रसीद या बिजली का बिल जैसा एक दस्तावेज भी यदि आवेदन के साथ लगाया गया है तो उसे मान्य कर पंजीयन करना होगा। अभी तो हो ये रहा था कि ऐसी रसीद देने के बाद भी अधिकारी क्वेरी के नाम पर अतिरिक्त दस्तावेज मांग रहे थे। करों की रसीद हाथ से बनी होने पर मान्य नहीं की जाती। अतिरिक्त दस्तावेजों में संपत्ति पंजीयन से लेकर तमाम दस्तावेज मांगे जाते। ऐसे में व्यवसायी न केवल परेशान होता बल्कि उसका पंजीयन भी काफी देरी से जारी होता। इसी तरह किराए के परिसर के मामले में भी साफ कर दिया गया है कि पहचान के प्रमाण और संपत्ति स्वामी द्वारा किराए पर परिसर देने के एक प्रमाण के आधार पर पंजीयन देना होगा। अब तक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे थे। इसी के साथ साझेदारी वाले परिसर व अन्य स्थितियों में भी मानक पैमाना जारी कर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जय नागपाल के अनुसार नए पैमानों से व्यवसायियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक लगातार आवेदन निरस्त किए जाते हैं और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जाती है।

अगले साल होगा खुलासा मप्र के लोग कितने खुश

भोपाल (काप्र)। मप्र के लोग कितने खुश हैं और खुशी के प्रमुख कारण क्या हैं। नए साल में प्रदेश के लोगों की खुशी का ये इंडेक्स सामने होगा। लोगों की खुशी का इंडेक्स तैयार करने का बीढ़ा मध्य प्रदेश के आनंद विभाग ने उठाया है, जो आईआईटी खड़गपुर की सहायता से प्रदेश के लोगों की खुशियां मापेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में खुशियों का निर्धारण हो सकेगा। मध्य प्रदेश के लोगों का हैप्पीनेस का इंडेक्स मापने के लिए आनंद विभाग एक नवाचार करने जा रहा है। इसके लिए विभाग आईआईटी खड़गपुर की सेवाएं ले रहा है। आईआईटी खड़गपुर की मदद से एक प्रश्नावली तैयार की जा रही है। आनंद विभाग से प्रदेश के सभी जिलों में 50 हजार से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इन वॉलन्टियर्स को आनंदक नाम दिया गया है। आनंद विभाग के अफसरों की मानें तो प्रदेश के 20 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खुशियां मापने की शुरुआत होगी। विभाग का कहना है कि खुशी मापने का आधार संसाधनों की बजाय लोगों के भाव होंगे। प्रश्नावली इन भाव पर आधारित रहेगी। आनंद विभाग का मानना है कि साल के अंत तक इंडेक्स तैयार हो जाएगा।

खुशियां मापने के लिए आनंद विभाग तैयार कर रहा खास इंडेक्स

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कलां तहसील-कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र.कं./अ-3/2024-25
ग्राम का नाम-बावडिया कंला
प.ह.नं 18, तहसील कोलार जिला भोपाल
सूचनापत्र (वास्ते बटांन)
प्रति 1. श्री राज कुमार खिलवानी पिता स्व. डॉ एपी. खिलवानी नि. भोपाल। 2. श्री लखी पारवानी स्व. आसनदास पारवानी निवासी भोपाल। 3. श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी अजय श्रीवास्तव एवं ज्योति मेहरा। 4. नरेश भाटिया पिता स्व. वाय. एस. भाटिया नि. भोपाल। 5. श्रीमती दर्शना चावला पिता रामूमल चावला निवासी भोपाल। 6. श्रीमती बबीता चावला पत्नी पिनन चावला निवासी भोपाल। 7. सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसी गण। **विषय-**बटांन किये जाने हेतु बाबत् सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक राज कुमार खिलवानी पिता/पत्नी डॉ स्व. श्री एपी खिलवानी,निवासी भोपाल 40/1/2/1/3/1/2, 40/1/2/1/3/2/1 द्वारा ग्राम बावडिया कंला पहनं.-18 मे स्थित खसरा नंबर 42/8/2 रकबा 0.0570 हे. 0.0795 है. 0.0160 हे. कुल रकबा 0.1525 हे. भूमि का बटांन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक 28/04/25 को समय 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटांन से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा मे बटांन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 18/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला-भोपाल (म.प्र.)
192

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कंला तहसील-कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र.कं./अ-3/2024-25
ग्राम का नाम-बावडिया कंला
प.ह.नं 18, तहसील कोलार जिला भोपाल
सूचनापत्र (वास्ते बटांन)
प्रति 1. श्री लखी पारवानी पिता स्व. आसनदास पारवानी एवं श्रीमती दीपा पारवानी पत्नी लखी पारवानी निवासी भोपाल। 2. श्री राजकुमार खिलवानी पिता स्व. डॉ. ए.पी. खिलवानी एवं अन्य नि. भोपाल। 3. श्री नरेश भाटिया पिता स्व. वाय. एस. भाटिया नि. भोपाल। 4. श्रीमती दर्शना चावला पिता रामूमल चावला निवासी भोपाल। 5. श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय श्रीवास्तव एवं ज्योति मेहरा निवासी भोपाल। 6. सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसी गण। **विषय-**बटांन किये जाने हेतु बाबत् सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक लखी पारवानी पिता/पत्नी स्व. श्री आसनदास पारवानी निवासी भोपाल 40/1/2/2/2/2, 40/1/2/1/3/1/1 द्वारा ग्राम बावडिया कंला पहनं-18 मे स्थित खसरा नंबर 42/8/1 रकबा 0.0347 है, 000120 है 0.0330 है कुल रकबा 0.0797 हे. भूमि का बटांन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक 28/04/25 को समय 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटांन से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा मे बटांन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 18/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला-भोपाल (म.प्र.)
193

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कंला तहसील-कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र. कं. /अ-3/2024-25
ग्राम का नाम-बावडिया कंला
प.ह.नं 18, तहसील कोलार जिला भोपाल
सूचनापत्र (वास्ते बटांन)
प्रति 1. श्रीमती दर्शना चावला पिता श्री रामूमल चावला निवासी भोपाल। 2. श्री राजकुमार खिलवानी पिता स्व. डॉ. ए.पी. खिलवानी नि.भोपाल। 3. श्री लखी पारवानी स्व. श्री आसनदास पारवानी एवं अन्य पडोसी। 4. श्री नरेश बाठिया पिता स्व. श्री वाय.एस. बाठिया निवासी भोपाल। 5. श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय श्रीवास्तव एवं ज्योति मेहरा निवासी भोपाल। 6. श्रीमती बबीता चावला पत्नी पिनन चावला निवासी भोपाल। 6. सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसी गण। **विषय-**बटांन किये जाने हेतु बाबत् सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक दर्शना चावला. पिता/पत्नी रामूमल चावला निवासी-द्वारा ग्राम बावडिया कंला पहनं-18 मे स्थित खसरा नंबर 40/1/2/1/5/2/4, 40/1/2/1/5/3/3 रकबा 0.0052 हे. 0.0150 हे. कुल रकबा 0.020 हे. भूमि का बटांन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक 28/04/25 को समय 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटांन से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा मे बटांन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 18/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला-भोपाल (म.प्र.)
194

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कंला तहसील-कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र. कं. /अ-3/2024-25
ग्राम का नाम-बावडिया कंला
प.ह.नं 18, तहसील कोलार जिला भोपाल
सूचनापत्र (वास्ते बटांन)
प्रति 1. श्रीमती बबीता चावला पत्नी श्री पिनन चावला निवासी भोपाल। 2. श्री सुयश पिता श्री सुशील कुमार निगम एवं कामिनी निवासी जबलपुर। 3. श्री राजकुमार खिलवानी पिता डॉ. ए.पी. खिलवानी नि.भोपाल। 4. श्री लखी पारवानी स्व. श्री आसनदास पारवानी निवासी भोपाल। 5. श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय श्रीवास्तव एच.आई.जी ए-14, विद्यानगर भोपाल एवं ज्योति मेहरा। 6.श्रीमती दर्शना चावला पिता श्री रामूमल चावला निवासी भोपाल। **विषय-**बटांन किये जाने हेतु बाबत् सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक बबीता चावला. पिता/पत्नी पिनन चावला निवासी द्वारा, ग्राम बावडिया पहनं.-18 में स्थित खसरा नंबर 40/1/2/1/5/1, 40/1/2/1/5/2, 40/1/2/1//5/2, 40/1/2/1/5/4/1, रकबा 0.0510 हे. 0.0262 हे. 0.0448हे. कुल रकबा 0.1220 हे. भूमि का बटांन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक 28/04/25 को समय 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटांन से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा मे बटांन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 18/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला-भोपाल (म.प्र.)
195

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कंला तहसील-कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र. कं. /अ-3/2024-25
ग्राम का नाम-बावडिया कंला
प.ह.नं 18, तहसील कोलार जिला भोपाल
सूचनापत्र (वास्ते बटांन)
प्रति 1. श्रीमती बबीता चावला पत्नी श्री पिनन चावला निवासी भोपाल। 2. श्री सुयश पिता श्री सुशील कुमार निगम एवं कामिनी निवासी भोपाल। 3.श्री राजकुमार खिलवानी पिता डॉ. ए.पी. खिलवानी नि.भोपाल। 4. श्री लखी पारवानी स्व. श्री आसनदास पारवानी निवासी भोपाल। 5. श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय श्रीवास्तव एच.आई.जी,भोपाल। 6.श्रीमती दर्शना चावला पिता श्री रामूमल चावला निवासी भोपाल। **विषय-**बटांन किये जाने हेतु बाबत् सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री एन.एस. व्ही एसोसियट द्वारा संजय जैन निवासी- 96 मालवीय नगर भोपाल द्वारा ग्राम बावड़िया कलां पहनं.-18 मे स्थित खसरा नंबर 40/1/2/1/3/1/, 40/1/2/1/3/2 अन्य रकबा 0.0066,00097, 0.0076, 0.0276, 0.0459,0.1227 कुल रकबा 0.2201 हे. भूमि का बटांन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक 28/04/25 को समय 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटांन से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा मे बटांन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 18/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला-भोपाल (म.प्र.)
196

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं.04 बावडिया कंला तहसील-कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
रा.प्र. कं. /अ-3/2024-25
ग्राम का नाम-बावडिया कंला
प.ह.नं 18, तहसील कोलार जिला भोपाल
सूचनापत्र (वास्ते बटांन)
प्रति 1. श्री राजकुमार खिलवानी पिता स्वं श्री डॉ ए.पी. खिलवानी नि भोपाल। 2. श्री लखी पारवानी स्व. श्री आर.एस. पारवानी निवासी भोपाल। 3. श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय श्रीवास्तव व अन्य। 4. श्री नरेश बाठिया पिता स्व. श्री वाय.एस. बाठिया निवासी भोपाल। 5. श्रीमती दर्शना चावला पिता श्री रामूमल चावला निवासी भोपाल। 6.श्रीमती बबीता चावला पत्नी श्री पिनन चावला निवासी भोपाल। **विषय-**बटांन किये जाने हेतु बाबत् सूचना पत्र। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मेसर्स सफायर एसोसिएट द्वारा हस्ताक्षर, निवासी 36 डी मार्ट के पीछे विद्यानगर भोपाल द्वारा ग्राम बावड़िया कला में स्थित खसरा नंबर 40/1/2/2/2 अन्य रकबा 0.0393, 0.0254, 0.0118, 0.028, 0.0244, 0.0112 कुल रकबा 0.1544 हे. भूमि का बटांन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक 28/04/25 को समय 12.00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त बटांन से कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा मे बटांन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में बटांन की दिनांक मे परिव